प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने अपने बेटे हंटर बाईडेन को बिना शर्त माफ़ी प्रदान की है, जिन्हें संघीय कर और बंदूक संबंधी अपराधों के लिए सजा का सामना करना पड़ रहा था।

भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में अंतर

विशेषताएँ	भारत का राष्ट्रपति	अमेरिका का राष्ट्रपति
संवैधानिक प्रावधान	भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 72**	अमेरिकी संविधान का **अनुच्छेद II, खंड 2.**
क्षेत्राधिकार	इन पर लागू होता है: • **भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून।** • **राज्य कानूनों के तहत मौत की सज़ा।** • **कोर्ट-मार्शल (सैन्य अदालतों) द्वारा सज़ा**	**संघीय कानूनों तक सीमित; राज्य के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता या राज्य के आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।**
बाध्यकारी सलाह	**मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा (विवेकाधीन नहीं)।**	**पूर्णतः विवेकाधीन; राष्ट्रपति एकतरफा निर्णय लेता है।**
अपवाद	कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं; मनमानी के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन (सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार)।	महाभियोग के मामलों में क्षमादान नहीं दिया जा सकता।
न्यायिक समीक्षा	**क्षमादान की शक्ति मनमानी या दुर्भावना के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है। (एपुरु सुधाकर मामला, 2006)।**	**सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं; बहुत सीमित अपवाद लागू होते हैं (जैसे, यदि न्याय में बाधा डालने के लिए उपयोग किया जाता है)।**
क्षमादान का प्रभाव	यह व्यक्ति को दोषसिद्धि, दण्ड और सभी अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर देता है।	इससे सजा और उससे संबंधित अयोग्यताएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन दोषसिद्धि का रिकॉर्ड नहीं मिटता।

भारत में क्षमादान शक्तियों के प्रकार -

- **राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद-72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद-161 के तहत प्रदान की गई हैं।**
- **क्षमा**: जब राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करता है, तो अपराधी को दी गई सजा और दंड शून्य हो जाते हैं।
- **राहत** (**Respite**): मूल सज़ा के स्थान पर कम सज़ा दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि दोषी शारीरिक रूप से दिव्यांग है या महिला अपराधी गर्भवती है।
- **विलंबन** (**Reprieve**): किसी सजा (विशेष रूप से मृत्युदंड) के निष्पादन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है।
- **छूट** (**Remit**): इसका उपयोग सजा की अवधि को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन सजा की मूल प्रकृति बरकरार रहती है। उदाहरण के लिए, दो साल के कठोर कारावास की सजा को घटाकर एक साल के कठोर कारावास में बदला जा सकता है।
- **सजा में परिवर्तन** (**Commute**): सजा के मूल स्वरूप को सजा के हल्के स्वरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है।

स्रोत:

- द हिन्दू - क्षमादान शक्ति के संबंध में क्या विवाद हैं?

सीरियाई युद्ध में नया चरण

संदर्भ

सीरिया में गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया है, हाल ही में राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन को निशाना बनाकर विद्रोही बलों द्वारा नए सिरे से आक्रमण शुरू किया गया।

वर्तमान आक्रमण में प्रमुख विद्रोही समूह और कर्ता

सीरियाई युद्ध

- **यह संघर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों के साथ शुरू हुआ था।**
- समय के साथ, यह युद्ध एक बहुआयामी संघर्ष में बदल गया जिसमें घरेलू विपक्षी समूह, विदेशी शक्तियां और चरमपंथी संगठन शामिल हो गए।

- **हयात तहरीर अल-शाम (HTS):**
  - **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत सीरिया में अल-कायदा की शाखा जबात अल-नुसरा के रूप में हुई, बाद में 2016 में इसका नाम बदलकर जबात फतेह अल-शाम कर दिया गया और 2017 में एचटीएस के रूप में विकसित हुआ।
  - **नेतृत्व:** अबू मोहम्मद अल-जोलानी द्वारा नेतृत्व।
  - एचटीएस को अमेरिका, रूस और तुर्की द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है।
- **सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF):**
  - **संरचना:** कुर्द मिलिशिया।
  - **नियंत्रणाधीन क्षेत्र:** पूर्वोत्तर सीरिया का स्वायत्त प्रशासन करता है।
  - **पूर्व अमेरिकी समर्थन:** अमेरिकी सेना की अचानक वापसी से पहले ट्रम्प प्रशासन के दौरान भारी समर्थन प्राप्त था।
- **सीरियाई राष्ट्रीय सेना (SNA):**
  - **उत्पत्ति:** 2011 में फ्री सीरियन आर्मी से उभरी।
  - तुर्की द्वारा समर्थित तथा असद और SDF दोनों का विरोध करती है।
  - **भूमिका:** 2019 में स्थापित "सैन्य संचालन कमान" के तहत एचटीएस के साथ संयुक्त रूप से संचालन करना।
- **असद शासन: रूस, ईरान और हिजबुल्लाह** के समर्थन से सीरिया के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखता है।
- **तुर्की:** ऐतिहासिक रूप से सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन करता है और इदलिब में व्यापार और पहुँच को नियंत्रित करता है। **इसने 2016 से उत्तरी सीरिया को नियंत्रित किया हुआ है।**

सीरिया के महत्वपूर्ण स्थान

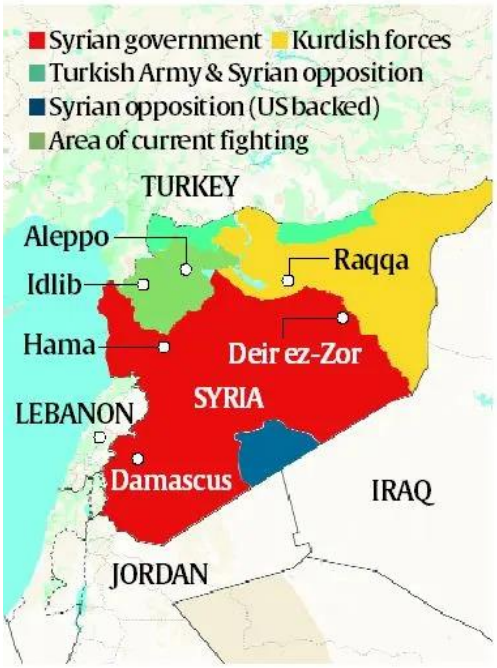

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: (2018)

समाचारों में कभी-कभी उल्लेखित शहर	**देश**
1. अलेप्पो -	सीरिया
2. किरकुक -	यमन
3. मोसुल -	फिलिस्तीन
4. मज़ार-ए-शरीफ़ -	अफ़गानिस्तान

ऊपर दी गई जोड़ियों में से कौन सी सही सुमेलित हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1 और 4
(c) 2 और 3
(d) 3 और 4

उत्तर: (**b**)

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - सीरिया में युद्ध का नया चरण]

बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक (2024)

संदर्भ

लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।

प्रमुख प्रावधान

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य कई बैंकिंग-संबंधी कानूनों में संशोधन करना है:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
- बैंकिंग कम्पनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980.

- **नकद भंडार के लिए पखवाड़े (Fortnight) की परिभाषा**: नकद भंडार के लिए औसत दैनिक शेष (बैलेंस) की गणना के लिए पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है।
    - **परिभाषा**: एक पखवाड़े को शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक (14 दिन) के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - **नई परिभाषा**:
        - प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक, या
        - माह की 16 तारीख से अंतिम दिन तक।
- **सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल**: सहकारी बैंक के निदेशक (अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) का अधिकतम लगातार कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- **सहकारी बैंकों में आम निदेशकों पर प्रतिबंध**: एक बैंक का निदेशक आरबीआई द्वारा नियुक्त निदेशकों को छोड़कर किसी अन्य बैंक के बोर्ड में सेवा नहीं दे सकता है।
    - **संशोधन**: केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में भी सेवा करने की अनुमति देता है, जिसके वे सदस्य हैं।
- **नामांकन**: वर्तमान में एकल या संयुक्त जमाधारक एक नॉमिनी **(nominee)** नियुक्त कर सकता है।
    - **संशोधन:**
        - अधिकतम **4** नॉमिनी की अनुमति देता है।
        - **जमा के लिए:** नॉमिनी का नाम एक साथ या क्रमिक रूप से रखा जा सकता है। एक साथ नामांकन में, शेयर आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है।
        - **लॉकर्स और कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए:** नामांकन के क्रम के आधार पर प्राथमिकता के साथ क्रमिक नामांकन किया जा सकता है।
- **दावा न की गई राशि का निपटान:** वर्तमान में भुगतान न किए गए या दावा न किए गए लाभांश को **7 वर्षों** के बाद **निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF)** में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
    - **संशोधन:** दायरे का विस्तार किया गया जिसमें शामिल हैं
        - लगातार 7 वर्षों तक बिना दावा किए गए लाभांश वाले शेयर।
        - 7 वर्षों तक बांड के लिए अवैतनिक ब्याज या मोचन राशि।
        - **दावेदारों को IEPF में स्थानांतरित किए गए शेयर या फंड को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है।**

स्रोत:

- द हिंदू - बैंक विधेयक लोकसभा में पारित, एक खाता, 4 नामांकित व्यक्ति की अनुमति

MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने हेतु संभावित 1.17 अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी है।

MH-60 R – सी हॉक हेलीकॉप्टर के बारे में -

- **यह लॉकहीड मार्टिन (यूएसए) द्वारा निर्मित विश्व का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर है।**
- यह सभी मौसम में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है जिसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स avionics और सेंसर के साथ डिज़ाइन किया गया है।
- **विशेषताएँ:**
    - यह मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल या इंफ्रारेड कैमरा, डेटालिंक, एयरक्राफ्ट सर्वाइवबिलिटी सिस्टम, डिपिंग सोनार और सोनोबॉय जैसे सेंसर से लैस है।
    - इसे विभिन्न मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे;
        - पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW)
        - सतह विरोधी युद्ध (ASuW)
        - खोज और बचाव (SAR)
        - चिकित्सा निकासी (MEDEVAC) और ऊर्ध्वाधर पुनःपूर्ति (VERTREP)
    - **हथियार**: यह टॉरपीडो, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेटों और चालक दल द्वारा संचालित बंदूकों से लैस है, जिनमें हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी (एंटी सबमरीन) टॉरपीडो शामिल हैं।

स्रोत:

- द हिंदू - अमेरिका ने MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए उपकरणों के 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी

ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर(Global One-Stop Centre)

संदर्भ

केंद्र सरकार ने विदेशों में संकट में फंसी महिलाओं की सहायता के लिए नौ वन-स्टॉप सेंटरों की स्थापना को मंजूरी दी है।

ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर के बारे में -

- इन केंद्रों का उद्देश्य कमजोर परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना है।
- **प्रस्तावित स्थान:**
    - **खाड़ी देश (आश्रय सुविधाओं वाले 7 केंद्र):** बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरब (जेद्दा और रियाद में केंद्र)।
    - **गैर-आश्रय केंद्र (2):** टोरंटो (कनाडा) और सिंगापुर।
- **प्रदान की जाने वाली सेवाएं**:
    - **आश्रय सुविधाएँ:** संकट में फँसी महिलाओं के लिए तत्काल सुरक्षित आवास।
    - **क़ानूनी सहायता:** न्याय तक पहुँच के लिए सहायता, विशेष रूप से विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं के लिए।
    - **परामर्श (काउन्सलिंग):** महिलाओं को कष्टदायक परिस्थितियों से निपटने में सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता।
    - **आपातकालीन सहायता:** चिकित्सा देखभाल और संकट में हस्तक्षेप का प्रावधान।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)** संकट में फँसे भारतीय नागरिकों तक कल्याणकारी उपाय पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा|

स्रोत:

- [डीडी न्यूज - सरकार ने संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर को मंजूरी दी]

एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन

संदर्भ

14वां एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ।

एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन (AOMSUC) के बारे में -

- **यह विश्व भर के मौसम विज्ञानियों, पृथ्वी वैज्ञानिकों, उपग्रह संचालकों और छात्रों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।**
- इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- **पहला AOMSUC 2010 में बीजिंग (चीन) में आयोजित किया गया था। तब से, इसे एशिया-ओशिनिया के विभिन्न स्थानों पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है।**
- **सम्मेलन का उद्देश्य:**
    - उपग्रह प्रेक्षणों के महत्व को बढ़ावा देना।
    - उपग्रह सुदूर संवेदन विज्ञान को उन्नत करना एवं इस क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों को शामिल करना।
    - उपग्रह प्रचालकों और उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना।
    - मौसम उपग्रह संवेदन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करना

स्रोत:

- पीआईबी- एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन (AOMSUC -14)

पीएम-अभिम(PM-ABHIM)

संदर्भ

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) का उद्देश्य ₹64,180 करोड़ (2021-26) के परिव्यय के साथ भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।

पीएम-अभिम के बारे में -

- **इसे अक्टूबर 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।**
- यह उप-केंद्रों, कल्याण केंद्रों, प्रयोगशालाओं और महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयों सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:**
    - जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करना।
    - आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का विस्तार और निर्माण करना।
    - कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का विस्तार करना और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण लागू करने के लिए मुख्य क्षमता विकसित करना।
- **अवयव:**
    - इसमें केंद्र प्रायोजित योजना घटक [जैसे आयुष्मान भारत - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)] शामिल हैं।
    - कुछ केन्द्रीय क्षेत्र घटक (जैसे क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक)।

स्रोत:

- पीआईबी - पीएम-अभिम पर अद्यतन जानकारी

उष्णकटिबंधीय पौधे सुबाबुल में इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन की क्षमता दिखी

संदर्भ

इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी), गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने **टाइप-II मधुमेह से जुड़े इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में सुबाबुल (ल्यूकेना ल्यूकोसेफला) की क्षमता की पहचान की है।**

सुबाबुल के बारे में -

- **यह तेजी से बढ़ने वाला फलीदार पौधा है, जो मध्य अमेरिका और मैक्सिको मूल का है, लेकिन इसकी अनुकूलनशीलता और विविध उपयोगों के कारण यह दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया है।**
- **भारत में वितरण:** यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में पाया जाता है
- **सुबाबुल के उपयोग:**
    - **भोजन और पोषण:** अपरिपक्व बीज और पत्तियों का सेवन सूप या सलाद में किया जाता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है।
    - **औषधीय अनुप्रयोग:**
        - इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में मधुमेह, आंत्र परजीवी और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है।
        - **IASST, गुवाहाटी में हाल ही में किए गए शोध में क्वेरसेटिन-3-ग्लूकोसाइड जैसे यौगिकों के माध्यम से टाइप II मधुमेह के प्रबंधन में इसकी क्षमता का संकेत मिला है।**
    - **लकड़ी और ईंधन:**
        - सुबाबुल उच्च गुणवत्ता वाली जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराता है और चारकोल का एक स्रोत है।
        - फर्नीचर, कागज की लुगदी और हल्के निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
    - **कृषि वानिकी:** मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने की क्षमता के कारण मक्का या बाजरा जैसी खाद्य फसलों के साथ अंतरफसलीय खेती की जाती है।
    - **पर्यावरणीय लाभ:**
        - **फाइटोरिमेडिएशन** (दूषित मिट्टी से भारी धातुओं को हटाने) में प्रभावी।
        - यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली एक संभावित प्रजाति बन जाती है।
- **चुनौतियाँ:**
    - **आक्रमणशीलता:** यह कुछ क्षेत्रों में इसे आक्रामक प्रजाति माना जाता है, क्योंकि यह स्थानीय पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और आक्रामक रूप से फैलती है।
    - **जल उपयोग:** यह अत्यधिक जल उपभोग करने वाला वृक्ष है, जिससे जल की कमी वाले क्षेत्रों में चिंता उत्पन्न हो गई है।

स्रोत:

- [पीआईबी - उष्णकटिबंधीय पौधे सुबाबुल ने टाइप II मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में क्षमता दिखाई]

केंद्र ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा

संदर्भ

लद्दाख से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की हाल ही में हुई बैठक में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रस्तावों का समर्थन किया गया।

लद्दाख के लिए प्रमुख प्रस्ताव -

- **नौकरी आरक्षण**:
  - **95% सरकारी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित।**
  - **महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण,** जिसमें पहाड़ी परिषदों में पद भी शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक एवं भूमि संरक्षण**:
  - लद्दाख की भूमि, भाषा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय।
  - **उर्दू और भोटी को क्षेत्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता।**
  - स्थानीय सशक्तिकरण, वन्यजीव संरक्षण और अन्य मुद्दों से संबंधित 22 लंबित कानूनों की समीक्षा।
- **भर्ती संबंधी चिंताओं का समाधान**:
  - डॉक्टर और इंजीनियर जैसे राजपत्रित पदों पर तत्काल भर्ती।
  - दानिक्स के बजाय जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) के माध्यम से की जाएगी।

लद्दाख में मुद्दे

- **रोजगार संबंधी चुनौतियाँ:**
  - लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से कोई राजपत्रित पद नहीं भरा गया।
  - अधिकांश नियुक्तियां संविदा के आधार पर हुई हैं, जिससे अनेक शिक्षित युवा बेरोजगार हो गए हैं।
- **प्रशासनिक सीमाएँ:**
  - स्थानीय विधायिका के अभाव के कारण लद्दाख के लिए पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना अव्यवहारिक मानी जाती है।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना -

- लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
- **छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है।**
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है।**
- **छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान:**
  - स्वायत्त जिला परिषदों का निर्माण, जिनके पास विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां होंगी।
  - जिला परिषदों को अपने-अपने परिषद के लिए बजट तैयार करने का अधिकार है।
  - परिषदें अपनी सभी शक्तियां और कार्य सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं।
  - संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियम स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, या वे कुछ परिवर्तनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
- **वर्तमान में 4 राज्यों में छठी अनुसूची क्षेत्र हैं: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा**

स्रोत:

- द हिंदू - केंद्र ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए(Extrachromosomal DNA)

संदर्भ

वैज्ञानिकों ने ecDNA के साथ कैंसर कोशिकाओं में एक कमजोरी की खोज की है। डीएनए की मरम्मत में शामिल एक विशिष्ट प्रोटीन (CHK1) को लक्षित करके, वे चुनिंदा रूप से इन कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं। इससे कुछ प्रकार के कैंसर के लिए नए, अधिक प्रभावी उपचार हो सकते हैं।

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (ecDNA) के बारे में -

- **ecDNA छोटे गोलाकार डीएनए टुकड़े होते हैं जो गुणसूत्रों से अलग होकर नाभिक में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं।**
- **उत्पत्ति:** डीएनए क्षति (जैसे, क्रोमोथ्रिप्सिस) या डीएनए प्रतिकृति के दौरान त्रुटियों के कारण निर्मित।
- **कैंसर में ecDNA की भूमिका:**
    - यह कुछ ट्यूमर प्रकारों में 90% तक पाया जाता है, जिनमें मस्तिष्क ट्यूमर, लिपोसारकोमा और स्तन कैंसर शामिल हैं।
    - ecDNA में प्रायः अनेक ऑन्कोजीन होते हैं, जो ट्यूमर वृद्धि और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं।
        - **ओन्कोजीन** उत्परिवर्तित जीन होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं तथा ट्यूमर के विकास को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होते हैं।

ecDNA एक समस्या क्यों है?

- **कैंसर वृद्धि:** ecDNA कैंसर पैदा करने वाले जीन की कई प्रतियां ले जा सकता है, जिससे ट्यूमर तेजी से बढ़ता है और अधिक आक्रामक हो जाता है।
- **दवा प्रतिरोध:** ecDNA युक्त कैंसर कोशिकाएं अधिक तेजी से विकसित हो सकती हैं, जिससे वे उपचार के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं।

स्रोत:

- द हिन्दू – ecDNA आनुवंशिकी के नियम को चुनौती देता है, नए अध्ययनों से पता चला

संपादकीय सारांश

यूके का सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक(UK's Assisted Dying Bill)

संदर्भ

हाउस ऑफ कॉमन्स ने असाध्य रूप से बीमार वयस्कों (जीवन का अंत) विधेयक के पक्ष में मतदान किया।

सहायता प्राप्त मृत्यु पर ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति -

- **कानूनी स्थिति: सहायता प्राप्त मृत्यु और इच्छामृत्यु वर्तमान में यू.के. में अवैध हैं। आत्महत्या में सहायता करना आत्महत्या अधिनियम 1961 के तहत 14 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है।**
- **पिछले प्रयास**: 2013 से, सहायता प्राप्त मृत्यु से संबंधित कम से कम तीन विधेयक संसद में पेश किए गए, लेकिन पारित नहीं हो सके।
- **सार्वजनिक वाद - विवाद**:
    - **समर्थकों का** तर्क है कि यह कानून असाध्य रूप से बीमार रोगियों को मानवीय तरीके से अपनी पीड़ा समाप्त करने की अनुमति देगा तथा व्यक्तियों द्वारा अनियमित तरीकों का सहारा लेने के जोखिम को कम करेगा।
    - **आलोचक** संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से कमजोर समूहों के बीच, तथा इसके बजाय उपशामक देखभाल में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हैं।

असाध्य रूप से बीमार वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक के प्रावधान -

- **पात्रता**:
    - 18 वर्ष से अधिक आयु के वे वयस्क जो असाध्य रूप से बीमार हैं तथा जिनके जीवन की संभावना छह महीने से कम है।
    - आवेदकों में निर्णय लेने की मानसिक क्षमता होनी चाहिए।
    - इसमें दिव्यांग या मानसिक विकार वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं।
- **निवास**:
    - आवेदक को अनुरोध करने से कम से कम 12 महीने पहले इंग्लैंड या वेल्स में पंजीकृत निवासी होना चाहिए।
- **प्रक्रिया**:
    - **प्रथम घोषणा**: समन्वयकारी डॉक्टर और एक गवाह की उपस्थिति में रोगी द्वारा हस्ताक्षरित।
    - **मूल्यांकन**:
        - समन्वयकारी डॉक्टर मरीज की पात्रता और स्वैच्छिक निर्णय की पुष्टि करता है।
        - एक स्वतंत्र चिकित्सक सात दिन की चिंतन अवधि के बाद दूसरा मूल्यांकन करता है।
        - डॉक्टरों के बीच मतभेदों को तीसरे स्वतंत्र डॉक्टर को भेजा जाता है (केवल एक बार)।
    - **न्यायिक समीक्षा**:
        - उच्च न्यायालय सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है, तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- **अंतिम चरण**:
    - अनुमोदन के बाद 14 दिन की "दूसरी चिंतन अवधि" होती है।
    - मरीज दो डॉक्टरों और एक तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में एक "द्वितीय घोषणापत्र" पर हस्ताक्षर करता है।
    - रोगी स्वयं समन्वय चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदित पदार्थ लेता है।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु

- **कानूनी ढांचा: संविधान के अनुच्छेद 21** के तहत **सम्मान के साथ मरने के अधिकार के हिस्से के रूप में 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त।**
    - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** में मरणासन्न अवस्था में पड़े रोगियों से जीवन-रक्षक उपकरण हटा लिए जाते हैं, ताकि उन्हें प्राकृतिक मृत्यु मिल सके।
- **लिविंग विल/एडवांस डायरेक्टिव्स**: गंभीर रूप से बीमार मरीज़ "लिविंग विल" या "एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव" में जीवन समर्थन वापस लेने की अपनी इच्छा को रेखांकित कर सकते हैं।
    - निर्देश पर दो गवाहों और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- **अनुमोदन प्रक्रिया**: इसके लिए उपचार करने वाले चिकित्सक, एक योग्य चिकित्सा बोर्ड और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व वाले एक बाहरी चिकित्सा बोर्ड की सहमति आवश्यक है।
- **चुनौतियाँ**:
    - जटिल दिशा-निर्देशों के कारण कार्यान्वयन सीमित रहा है।
    - 2023 में संशोधनों के तहत सख्त समयसीमा लागू की गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट की भागीदारी कम कर दी गई।
    - भारत सरकार ने प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हुए 2024 में मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं।

तुलना

- **यूके विधेयक**: यह रोगियों को सख्त सुरक्षा उपायों के तहत स्वयं द्वारा प्रशासित पदार्थों के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देता है।
- **भारत**: केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता देता है, जिससे मरीज़ जीवन समर्थन को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सक्रिय रूप से अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकते।

दोनों दृष्टिकोणों का उद्देश्य नैतिक चिंताओं को संतुलित करते हुए रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करना है, लेकिन यूके बिल जीवन के अंत के निर्णयों में रोगियों के लिए अधिक सक्रिय भूमिका पेश करता है।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: ब्रिटेन का सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक क्या कहता है, भारतीय कानून से इसकी तुलना कैसे की जाती है**

विस्तृत कवरेज

COP-29

संदर्भ

- पार्टियों का 29वां सम्मेलन (COP29) बाकू, अज़रबैजान में आयोजित किया गया।
- इस वर्ष के सम्मेलन को "वित्त COP" नाम दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्रवाई में वित्तपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है।

जलवायु कार्रवाई में वित्त की आवश्यकता -

- **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर परिवर्तन**: नवीकरणीय और हरित प्रौद्योगिकियों की उच्च प्रारंभिक लागत के कारण उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
    - उन्नत हरित समाधानों जैसी विकासशील प्रौद्योगिकियों में विफलता का जोखिम रहता है, जिसके कारण शीघ्र अपनाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
- **विकासशील देशों के लिए समर्थन**: विकासशील देशों को विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में सुधार को एकीकृत करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है।
    - इन क्षेत्रों में सरकारों को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो बाहरी वित्तीय सहायता के महत्व को रेखांकित करता है।
- **किफायती ऋण**: विकासशील देशों को अक्सर विकसित देशों की तुलना में पूंजी की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे जलवायु पहलों को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
    - घरेलू निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है।
- **ऋण-मुक्त साधन**: विकासशील देशों पर ऋण का बोझ बढ़ने से रोकने के लिए ऋण की तुलना में विकसित देशों से सार्वजनिक अनुदान को प्राथमिकता दी जाती है।
    - दीर्घकालिक स्थिरता के लिए किफायती वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से राजकोषीय क्षमताओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति**: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत वित्त पर स्थायी समिति की दूसरी आवश्यकता निर्धारण रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 98 देशों की आधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

वित्तीय संरचनाओं पर चिंताएं

- विकासशील देशों पर भारी ऋण बोझ के कारण जलवायु कार्रवाई के लिए घरेलू निजी पूंजी का उपयोग करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- विकासशील देशों के लिए ऋण दरें विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक हैं।
- राजकोषीय तनाव को दूर करने और किफायती वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विकसित देशों से ऋण के स्थान पर सार्वजनिक अनुदान पर जोर दिया जा रहा है।

नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) की भूमिका

- **कैनकन (2010) में:** विकसित देशों ने 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर देने का वचन दिया।
- **COP21 (पेरिस) में:** राष्ट्रों ने 2025 से पहले NCQG की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की।

- **NCQG का उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है, जिसके लिए राष्ट्र पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए प्रयास कर सकें।**
- **COP29 में प्रगति और परिणाम**: विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर देने का वचन दिया, जो 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य से उल्लेखनीय वृद्धि है, लेकिन विकासशील देशों के 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक अनुरोध से कम है।
    - अनुकूलन निधि और जलवायु तंत्र के माध्यम से 2035 तक सार्वजनिक संसाधनों के प्रवाह को तीन गुना करने का वादा किया गया है, हालांकि प्रगति धीमी रह सकती है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य वार्ताएं

- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1989):** क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा की गई।
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2005):** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर पहला वैश्विक समझौता।
- **पेरिस समझौता (2015):** हर पांच साल में संशोधित लक्ष्यों के साथ वैश्विक तापमान को 2°C से नीचे सीमित रखने पर सहमति।
- **ग्लासगो जलवायु समझौता (2021):** हानि और क्षति कोष की शुरुआत की गई और राष्ट्रों द्वारा शुद्ध-शून्य लक्ष्य घोषित किए गए।

COP29 की कमियां

- **जलवायु वित्त के प्रति अपर्याप्त प्रतिबद्धता:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त को उत्प्रेरित करने के केंद्रीय विषय के बावजूद, COP29 में किया गया समझौता अपेक्षाओं से कम है।
    - 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर का समझौता, विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने तथा उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आवश्यक 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष से बहुत कम है।
    - यह प्रतिबद्धता पूरी तरह से सार्वजनिक वित्त से नहीं है , बल्कि इसमें निजी वित्त, बहुपक्षीय विकास बैंकों और कार्बन बाजारों से प्राप्त धन भी शामिल है, जिससे इन स्रोतों की विश्वसनीयता और स्थिरता के बारे में चिंता उत्पन्न होती है।
    - निजी वित्त का प्रवाह आर्थिक रूप से आकर्षक बाजारों की ओर होता है, जिससे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है, जहां जलवायु अनुकूलन की जरूरतें अधिक हैं।
- **कार्बन बाज़ारों के बारे में अनिश्चितता:** यद्यपि कार्बन क्रेडिट प्रक्रियाओं और अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत वैश्विक कार्बन बाज़ार पर समझौतों के साथ कार्बन बाज़ारों पर प्रगति हुई है, फिर भी उनकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।
    - इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि ये बाजार कितनी अच्छी तरह काम करेंगे और क्या उभरती अर्थव्यवस्थाएं इनसे सचमुच लाभान्वित होंगी।
    - कार्बन क्रेडिट किस प्रकार आवंटित किए जाएंगे तथा पर्यावरणीय अखंडता किस प्रकार कायम रखी जाएगी, इस पर स्पष्टता का अभाव इन तंत्रों की दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न छोड़ता है।
- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में सीमित प्रगति:** सबसे बड़ी निराशाओं में से एक यह थी कि सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।
    - विभिन्न देशों द्वारा मजबूत प्रतिबद्धताओं के लिए दबाव डालने के बावजूद, COP29 और G20 शिखर सम्मेलन दोनों जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समझौते हासिल करने में विफल रहे, जो एक प्रमुख मुद्दा है जो अभी भी अनसुलझा है।

- **वैश्विक जलवायु लक्ष्य यथार्थवाद में बदलाव:** वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य तेजी से अवास्तविक माना जा रहा है, अध्ययनों से पता चलता है कि 2023 के अंत तक दुनिया पहले से ही पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.49 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुकी होगी।
    - यद्यपि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए कार्बन निष्कासन की अप्रमाणित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी, तथा ऐसी प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर निवेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
    - 1.5°C लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल रही कोशिशों को कमतर लक्ष्य प्राप्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या अधिक यथार्थवादी लक्ष्य अपनाया जाना चाहिए।
        - हालांकि, यह विकासशील देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लाभ बिंदु है, और इसे छोड़ने से वित्तीय सहायता और उत्सर्जन में कटौती के लिए उनकी सौदेबाजी की स्थिति कमजोर हो सकती है।

जलवायु कार्रवाई में भारत के प्रयास

- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु नीतियां**:
    - भारत न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पोषण मानता है तथा घरेलू कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - **महत्वपूर्ण पहल**:
        - **प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना**: ऊर्जा की कमी और पहुंच को दूर करने के लिए छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी।
        - **पीएम ई-ड्राइव पहल**: सब्सिडी की पेशकश और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करके शून्य-उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देना।
        - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना**:
            - जल्द ही भारतीय कार्बन बाजार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
            - उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन में कमी के लिए निवेश जुटाना।
- **पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताएं**: भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता (जीडीपी की प्रति इकाई CO2) को कम करने को प्राथमिकता देता है।
    - जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं:
        - कृषि, वानिकी, जल संसाधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अनुकूलित अनुकूलन रणनीतियाँ।
- भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए सह-लाभ दृष्टिकोण अपनाया है - उत्सर्जन शमन को सामाजिक-आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना।
    - निम्नलिखित के माध्यम से ठोस प्रगति हो रही है:
        - **मिशन लाइफ:** टिकाऊ उपभोग की वकालत करना।
        - **ताप कार्य योजनाएँ**: लचीले बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास के माध्यम से अत्यधिक ताप से निपटना।
- भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के लिए महत्वपूर्ण संसाधन समर्पित किए हैं:
    - बजट 2024-25 में ₹19,100 करोड़ प्राप्त हुए, जो इसका उच्चतम आवंटन है।
    - ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए ₹40 करोड़ आवंटित।
    - इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए FAME-II के अंतर्गत ₹5,790 करोड़ की सब्सिडी।

COP29: विकासशील देशों द्वारा आलोचना

- **अपर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताएं:** विकासशील देशों ने **300 बिलियन डॉलर के आधार लक्ष्य की आलोचना करते हुए कहा** कि यह उनकी जलवायु शमन और अनुकूलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
    - भारत ने इस पैकेज को "बहुत कम और बहुत दूरगामी" बताया तथा इस बात पर बल दिया कि यह आवश्यक 1.3 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक वित्तपोषण से कम है।
- **पिछले वादों को पूरा करने में विफलता:** विकसित देशों ने 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने के अपने पिछले वादे को पूरा नहीं किया है। इससे नई प्रतिबद्धताओं में विश्वास कम होता है।
- **बहिष्करण**: भारत ने आरोप लगाया कि जलवायु वित्त पैकेज को अपनाने से पहले बोलने के उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया, और इस प्रक्रिया को "स्टेज-मैनेज्ड" होने का आरोप लगाया।
    - इसके अलावा नाइजीरिया और बोलीविया ने तर्क दिया कि NCQG को विकसित देशों के भू-राजनीतिक हितों के अनुसार तैयार किया गया है।
- **विलंबित कार्रवाई:** वित्तीय जुटाने का लक्ष्य 2035 निर्धारित किया गया है, जिसे विकासशील देश जलवायु संकट की गंभीरता को देखते हुए बहुत दूर मानते हैं।
- **विश्वास और सहयोग पर सीमित प्रगति:** भारत और अन्य देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास और सहयोग - जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं - की वार्ता में कमी थी।

आगे की राह

- **संवाद के प्रति प्रतिबद्धता**: NCQG का परिणाम जलवायु चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निरंतर वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **कार्रवाई के सिद्धांत**: सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) को बनाए रखें।
    - जलवायु न्याय और न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना।
- **सामूहिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना**: विकासशील देशों की राजकोषीय क्षमताओं को मजबूत करना।
    - ऋण की तुलना में सार्वजनिक अनुदान को प्राथमिकता देते हुए किफायती जलवायु वित्त प्रवाह को बढ़ाना।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता:** विकासशील देशों को न केवल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।
- **विश्वास और जवाबदेही:** NCQG वार्ता की सफलता ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को संबोधित करते हुए विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास बहाल करने पर निर्भर करेगी।

स्रोत:

- द हिंदू: वैश्विक जड़ता के बीच स्थानीय कार्रवाई
- द हिंदू: COP29 से प्राप्त निष्कर्ष
- द हिंदू: बाकू के 'NCQG परिणाम' पर विचार
- द हिंदू: सार्थक COP30 के लिए 'प्रतिनिधित्व' पर पुनर्विचार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (एससी/एसटी अधिनियम)

संदर्भ

केंद्र सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत देश भर में दर्ज किए जा रहे मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों में बढ़ती जागरूकता, व्यापक प्रचार और पुलिस कर्मियों की क्षमता निर्माण शामिल है।

एससी/एसटी अधिनियम के बारे में -

- **अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरुद्ध जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया।**
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद-15 और 17** में निहित, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **इसका उद्देश्य अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे पहले के कानूनों की खामियों को दूर करना है।**
- केन्द्र **सरकार** कार्यान्वयन के लिए नियम बनाती है।
- केंद्रीय सहायता से **राज्य सरकारों** और **केंद्र शासित प्रदेशों** द्वारा प्रशासित।

प्रमुख प्रावधान

- **अत्याचार की परिभाषा**: इसमें शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और अन्य जाति-आधारित उल्लंघन जैसे अपराध शामिल हैं।
    - इन कृत्यों को "अत्याचार" माना गया है तथा कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
- **कठोर दंड: भारतीय दंड संहिता, 1860** (अब **भारतीय न्याय संहिता, 2023**) के तहत दंड की तुलना में अधिक दंड।
- **अग्रिम जमानत का बहिष्करण**: **धारा 18 सीआरपीसी की धारा 438** (अब **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023**) के तहत अग्रिम जमानत प्रावधानों को बाहर करती है।
- **विशेष न्यायालय और संरक्षण प्रकोष्ठ**: शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय।
    - राज्य स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ इसका प्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं।**
- **जांच प्रोटोकॉल: जांच डीएसपी या उससे उच्च** रैंक के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
    - निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
- **पीड़ित सहायता**: राहत और पुनर्वास उपायों में वित्तीय मुआवजा, कानूनी सहायता और अन्य सहायता सेवाएं शामिल हैं।
- **अपवर्जन(Exclusions):**
    - यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच किए गए अपराधों को कवर नहीं करता है।
    - इसे किसी अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता।

हाल ही में हुए संशोधन

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015**:
    - अत्याचारों के दायरे का विस्तार कर इसमें निम्नलिखित अपराध शामिल किये गये:
        - जूते-चप्पलों की माला पहनाना।

        - हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर करना।
        - सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लागू करना।
    - कुछ विशिष्ट प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित किया गया है जैसे:
        - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का यौन शोषण और जानबूझकर बिना सहमति के उन्हें छूना।
        - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना।
    - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले लोक सेवकों को कारावास का सामना करना पड़ता है।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018**:
    - **गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया।**
    - बिना पूर्व अनुमति के तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति दी गई।

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

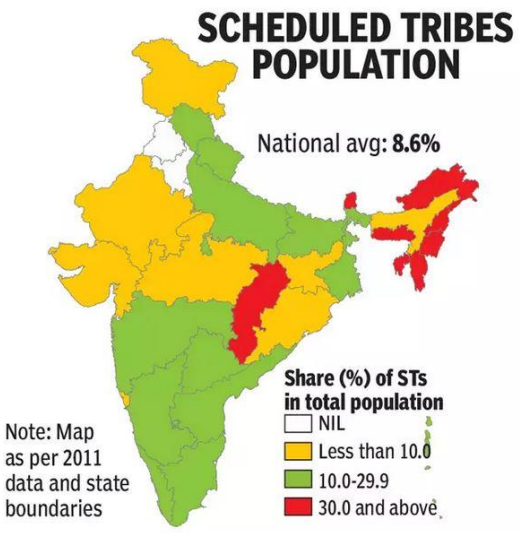

- **अनुच्छेद 366(25)** के तहत परिभाषित किया गया है "जनजाति या आदिवासी समुदाय, या उसके समूह, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।"
- **विनिर्देशन के लिए मानदंड** (संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं):
    - आदिम लक्षण
    - विशिष्ट संस्कृति
    - भौगोलिक अलगाव
    - बड़े समुदायों के साथ बातचीत में सामाजिक शर्म
    - आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन
- **अनुच्छेद 342:**
    - **राष्ट्रपति अधिसूचना**: राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों, या उनके भागों को **अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।**
    - **परिवर्तन के लिए संसदीय अनुमोदन**: एक बार सूची जारी हो जाने के बाद, उसमें कोई भी परिवर्तन, विलोपन या संशोधन केवल **संसद द्वारा कानून के माध्यम से किया जा सकता है**, राष्ट्रपति द्वारा एकतरफा रूप से नहीं।
    - **राज्य-विशिष्ट सूचियाँ**: एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत जनजातियों को आवश्यक रूप से दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

अनुसूचित जातियां (एससी)

- **अनुच्छेद 366(24)** के तहत परिभाषित "जाति, मूलवंश या जनजाति या उसके भाग, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं।"
- **विनिर्देशन के लिए मानदंड**:
    - अस्पृश्यता की प्रथाओं के साथ ऐतिहासिक संबंध।
    - सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।
    - विशिष्ट जातियों को राष्ट्रपति द्वारा **अनुच्छेद 341 के तहत सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है**।
- **अनुच्छेद 341:**
    - **राष्ट्रपति अधिसूचना**: राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या उनके भागों को **अनुसूचित जातियों (एससी) के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।**
    - **परिवर्तन के लिए संसदीय अनुमोदन**: एक बार सूची जारी हो जाने के बाद, उसमें कोई भी परिवर्तन, विलोपन या संशोधन केवल **संसद द्वारा कानून के माध्यम से किया जा सकता है**, राष्ट्रपति द्वारा एकतरफा रूप से नहीं।
    - **राज्य-विशिष्ट सूचियाँ**: एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत जातियों को आवश्यक रूप से दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

एससी/एसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में वृद्धि (2022)

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत **67,000 मामले दर्ज किये गये।**
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, यह **2013 के बाद से सबसे अधिक है।**
- **विवरण**: अनुसूचित जातियों के विरुद्ध **57,582 मामले** तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध **10,064 मामले।**

एससी और एसटी अधिनियम, 1989 की कमियां

- **कानूनी प्रणाली:**
  - अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
  - कई विशेष न्यायालय केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही स्थापित किये जाते हैं तथा पूर्णतः कार्यात्मक नहीं होते।
  - परिणामस्वरूप, अत्याचार से संबंधित मामलों का लंबित होना, इस अधिनियम के तहत अपराधों के समाधान में देरी का कारण बनता है।
- **पुनर्वास से संबंधित प्रावधान:**
  - अधिनियम में पुनर्वास के लिए न्यूनतम प्रावधान (केवल धारा 21(2)(iii) के अंतर्गत) प्रदान किये गये हैं।
  - यह अत्याचार के पीड़ितों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास पर केंद्रित है।
  - पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
  - पीड़ितों को अक्सर निम्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है:
    - असुरक्षा की भावनाएँ
    - सामाजिक परिहार
    - वित्तीय संघर्ष
  - पीड़ितों को पर्याप्त वित्तीय, कानूनी और अन्य प्रकार की सहायता मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास हेतु विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है।
- **जागरूकता की कमी:**
  - इस अधिनियम के कई लाभार्थी इसके अंतर्गत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं।
  - कुछ पुलिस अधिकारी, अभियोजक और न्यायिक अधिकारी भी अधिनियम के प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं या उनका गलत प्रयोग करते हैं।
  - इससे पीड़ितों की स्थिति और खराब हो जाती है।
- **कुछ अपराध जो कवर नहीं किए गए**
  - ब्लैकमेलिंग जैसे कुछ अपराधों को अधिनियम के तहत अत्याचार की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
  - अपराधी इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी दंड के बिना अपराध करने के लिए इन अंतरालों का फायदा उठाते हैं।
- **एफआईआर पंजीकरण से संबंधित समस्याएं**
  - **सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) में:**
    - दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक है।
    - लोक सेवकों को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक था।
    - इस फैसले से अधिनियम के प्रावधान कमजोर हो गए।
  - **भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) में:**

- तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के फैसले को खारिज करते हुए अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की पुष्टि की।
- इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता और नागरिक अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों पर प्रकाश डाला गया।

आगे की राह

- **विशेष न्यायालयों को मजबूत बनाना**:
  - विशेष न्यायालयों के लिए वित्त पोषण और संसाधन बढ़ाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे केवल एससी/एसटी अधिनियम के मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना।
  - मामलों के त्वरित समाधान के लिए न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **पुनर्वास उपायों का विस्तार**:
  - शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करना।
  - दीर्घकालिक सहायता के लिए पीड़ितों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- **जागरूकता अभियान**:
  - अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करना।
  - पुलिस और न्यायिक पाठ्यक्रम में एससी/एसटी अधिनियम पर प्रशिक्षण शामिल किया जाए।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय**:
  - झूठे आरोपों को न्यूनतम करने के लिए जांच और संतुलन लागू करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक मामलों की अनदेखी न की जाए।
  - निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों के लिए स्वतंत्र समीक्षा तंत्र लागू करना।
- **अत्याचार की परिभाषा को व्यापक बनाना**:
  - अधिनियम में संशोधन करके ब्लैकमेल, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न तथा वर्तमान में इसके अंतर्गत न आने वाले अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार जैसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया जाए।
  - उभरते भेदभाव और हिंसा के स्वरूपों से निपटने के लिए अपराधों की सूची की नियमित समीक्षा करें और उसे अद्यतन करना।
- **निगरानी तंत्र को मजबूत करना**:
  - एससी/एसटी संरक्षण प्रकोष्ठों को अधिक संसाधनों और निरीक्षण क्षमताओं से सशक्त बनाना।
  - अधिनियम के कार्यान्वयन का समय-समय पर मूल्यांकन करने तथा सुधार की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना करना।

स्रोत: द हिंदू: मंत्री ने कहा, जागरूकता के कारण एससी/एसटी अधिनियम के तहत अधिक मामले दर्ज किए गए